

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-ज0वि0प्र0-01/2012- 6522 /खाद्य/पटना, दिनांक- 17/08/15

प्रेषक,

प्रकाश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
बाँका ।

विषय:- अनुकम्पा के आधार पर कंचन देवी, पति श्री परमानन्द चौधरी,
ग्राम- गंगापुर गढ़ौल, प्रखंड- अमरपुर को जन वितरण प्रणाली की
नई अनुज्ञप्ति हेतु मार्गदर्शन के संबंध में ।

प्रसंग:- आपका पत्रांक- 685, दिनांक- 10.06.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- 685 दिनांक- 10.06.2015 के
सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)
आदेश, 2001 (विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक- 601 दिनांक- 15.02.07 द्वारा
अधिसूचित में मृत अनुज्ञप्तिधारी की विवाहिता पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर
अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान नहीं है । जन वितरण प्रणाली की दुकानों की
अनुज्ञप्ति इस आदेश के प्रावधानों के अन्तर्गत दी जाती है । अतः एतद्
अनुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-ज0वि0प्र0-01/2012- 6522 /खाद्य/पटना, दिनांक- 17/08/15

E-Mail

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि संबंधित
अधीनस्थ पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी आवश्यक निर्देश देने की कृपा की
जाय ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।